

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/SAMB/0336/2025-NYN-SAMB (971379)/1652

भोपाल, दिनांक 09/12/2025

प्रति

श्री योगेश नागले
सचिव / सहायक संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मुख्यालय - भोपाल

विषय - खरीफ 2025 हेतु सोयाबीन में भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन कृषि उपज की संभावित रीसाइकलिंग पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में निरीक्षण हेतु आदेश।

खरीफ 2025 हेतु सोयाबीन में भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन कृषि उपज की संभावित रीसाइकलिंग पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/भा.भु.यो./परिपत्र/2025-26/1633 दिनांक 21/11/2025 से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, छायाप्रति संलग्न है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत — कृषि उपज मंडी समिति, कालापीपल में, संलग्न दिशा-निर्देश के अनुसार, जांच करते हुए तत्काल तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Anurag Saxena
Date: 09-12-2025
15:21:24

(अनुराग सक्सेना)^{ias}
अपर प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 28 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / भा.भु.यो. / परिपत्र / 2025-28 / 1633
प्रति,

भोपाल, दिनांक : 21/11/2025

01. संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, (समस्त) ।
02. मारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) ।

विषय :- भावांतर भुगतान योजना 2025 में पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) की रोकथाम करने हेतु आवश्यक नियंत्रण उपाय किए जाने बाबत ।

— 000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांशी योजना है । उक्त योजना दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील है । इस योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है ऐसे में संज्ञान में आया है कि कुछ मंडियों में सोयाबीन की आवक गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष वास्तविक आवक अपेक्षाकृत अधिक है जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि गत वर्ष वेयरहाउस में भंडारित सोयाबीन अथवा अन्य स्रोतों से पुनर्चक्रित (रिसाइकल) कृषि उपज योजना में सम्मिलित कर प्रवेश कराने का प्रयास किया जा सकता है ।

सोयाबीन कृषि उपज का पुनर्चक्रण पूर्णतः रोके जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

01. प्रवेश के समय रियल-टाइम एंट्री अनिवार्यतः दर्ज की जाए :-
ऐसा देखा गया है कि कुछ मंडियों में रात भर कृषि उपज की आवक बनी रहती है तथा सुबह नीलामी पूर्व प्रवेश पर्ची के लिए लंबी पंक्तियां लग जाती हैं इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उपज वास्तव में मंडी में लाई गई है या केवल पंजीयन के आधार पर प्रवेश पर्ची जारी कराई जा रही है । ऐसी स्थिति में पुनर्चक्रण की आशंका बनी रहती है, अतः विशेष सतर्कता बरती जाए तथा आवक के समय ही प्रवेश गेट पर रियल टाइम प्रवेश पर्ची जारी की जाए ।
02. पर्ची जारी करने हेतु स्थायी कर्मचारी की उपलब्धता अनिवार्य :-
प्रवेश पर्ची मंडी के स्थायी कर्मचारी द्वारा ही जारी की जाए तथा यदि ऑपरेटर द्वारा पर्ची जारी की जाती है, तो यह कार्य स्थायी कर्मचारी की प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाए । सचिव द्वारा यथा संभव स्वयं भी समय-समय पर गेट पर वाहनों की जांच/निगरानी की जाए ।
03. एक ट्रॉली/वाहन में अनेक किसानों की उपज होने पर पंजीयन की जांच :-
यदि प्रवेश के समय एक ट्रॉली/वाहन में एक से अधिक किसानों की कृषि उपज हो, तो संबंधित किसानों के पंजीयन की अनिवार्य रूप से जांच की जाए । यदि पंजीयन भिन्न-भिन्न एवं विपरीत दिशाओं के ग्रामों के हों, तो परीक्षण किया जाए कि उपज वास्तविक किसानों की है अथवा बिचौलियों द्वारा लाई गई है, तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाए ।

04. पंजीकृत किसान अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य :-
योजना प्रावधान अनुसार पंजीयन पर विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज के साथ पंजीकृत किसान अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए, ताकि उपज की सत्यता की पुष्टि की जा सके।
05. व्यापारियों की खरीदी एवं निकासी की सतत निगरानी :-
मंडी द्वारा व्यापारियों की खरीदी, निकासी एवं उपज के आवागमन की नियमित और सतत निगरानी रखी जाए।
06. मंडारित कृषि उपज की दैनिक जानकारी एवं भौतिक सत्यापन
व्यापारियों द्वारा मंडारित कृषि उपज किस स्थान/वेयर हाउस में रखी हुई है की जानकारी मंडी कार्यालय में जमा कराई जाए एवं मंडी द्वारा उसका नियमित भौतिक सत्यापन भी किया जाए।
07. विक्रय हेतु जारी अनुज्ञा पत्रों का भौतिक सत्यापन
व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे अनुज्ञा पत्रों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य रूप से किया जाए तथा आशंका की स्थिति में उनके क्रय विक्रय के दस्तावेज जैसे बिल, बिल्टी, तौलकांटा पर्ची तथा भुगतान की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट आदि का भी परीक्षण किया जावे।
08. वीडियोग्राफी :-
संभावित पुनर्चक्रण रोकने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नीलामी के समय विक्रेता कृषक/अधिकृत प्रतिनिधि की भी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जाए।
09. सी.सी.टी.वी का सुचारु संचालन :-
इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि प्रवेश गेट, नीलामी एवं निकासी की सी.सी.टी. वीडि से निगरानी रखी जावे।
10. वेयरहाउस पर रखी कृषि उपज पर विशेष निगरानी :-
वेयर हाउस में मंडारित सोयाबीन की निकासी के समय व्यापारी द्वारा संबंधित वेयरहाउस का WHR (WareHouse Receipt) अनिवार्य रूप से मंडी कार्यालय में जमा कराया जाए साथ ही वेयरहाउस प्रबंधक द्वारा यह प्रमाणीकरण भी दिया जाये के जो कृषि उपज सोयाबीन निकासी किजा रही है वह किस किसान/व्यापारी की है तथा यह कब से मंडारित है। आवश्यकता होने पर मंडी कर्मचारियों द्वारा उक्त जानकारी का भौतिक सत्यापन भी किया जाए।
11. व्यापारियों के स्टॉक पर विशेष निगरानी :-
व्यापारियों द्वारा स्वयं के स्टॉक से स्टॉक हेतु जो अनुज्ञा जारी किये जाते हैं उनकी भी विशेष निगरानी रखी जावे तथा यह भौतिक सत्यापन की किया जावे की यह मंडारण कहाँ किया जा रहा है।
अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि भावांतर भुगतान योजना में प्रवेश के समय ही कृषि उपज सोयाबीन का गेट पर भौतिक सत्यापन/परीक्षण उपरांत ही रियल टाइम गेट पर्ची जारी की जाए तथा उपरोक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(कुमार पुरुषोत्तम)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मोपाल

क्रमांक / बोर्ड / मा.मु.यो. / परिपत्र / 2025-26 / 1634 मोपाल, दिनांक : 21/11/2025
प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।
02. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन ।
03. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
04. कलेक्टर, जिला (समस्त)
05. अपर प्रबंध संचालक महोदय, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मोपाल ।
06. प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मोपाल। पोर्टल पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तथा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
07. गार्ड फाईल ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मोपाल